



पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, कोटा

P.M. SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO. 1, KOTA



स्टेशन रोड, कोटा, (राजस्थान)-324002/ Station Road, Kota, (Rajasthan)-324002

दूरभाष-0744-2440105, ईमेल -kv1kota@gmail.com, वेबसाइट- www.no1kota.kvs.ac.in

के.मा.शि.बो. विद्यालय नं. 14166, के.मा.शि.बो. मान्यता सं. 1700016

फा. 28/2024-25/के.वि.1 कोटा 993

दिनांक: 21.09.2024

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय कं.1, कोटा में फर्नीचर, अन्य फिक्स असेट, फिजिक्स, केमेस्ट्री लेब की अभोज्य सामग्री (Non consumable article) जो कि अनुपयोगी घोषित की जा चुकी है, की नीलामी दिनांक 04.10.2024 को प्रातः 11.00 बजे की जानी है। अतः इच्छुक व्यक्ति / फर्म दी गई दिनांक व समय पर उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बोली में भाग लेने से पूर्व रु.1000/- नकद/नैफ्ट/आरटीजीएस वायाना राशि के रूप में जमा करवानी होगी।

सफल बोलीदाताओं को कार्यालय में बोली राशि तुरन्त जमा करनी होगी और विद्यालय परिसर से निस्तारित सामग्री को अपनी लागत पर तुरन्त अथवा 24 घन्टे के अन्दर हटाना होगा। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

नीलामी हेतु नियम व शर्तें

1. दिनांक 04.10.2024 को प्रातः 11.00 बजे सार्वजनिक नीलामी की जाएगी।
2. नीलामी में भाग लेने से पहले रुपए 1000/- मात्र की बयाना राशि/अर्नेस्ट मनी जमा करवानी होगी।
3. सबसे अधिक बोली लगाने वाले को सामान बेचे जाएंगे। आंशिक बोली किसी मामले में स्वीकार्य नहीं होगी।
4. समिति द्वारा स्वीकार्य उच्चतम बोली की राशि को मौके पर ही जमा करवाना होगा जोकि केन्द्रीय विद्यालय नं.1, कोटा, वीवीएन अकाउन्ट के पक्ष में देय नकद/नैफ्ट/आरटीजीएस के रूप में होगा। ऐसा न होने पर बोली रद्द कर दी जाएगी और बयाना राशि जब्त हो जाएगी शेष बोली दाताओं की बयाना राशि बोली समाप्त होने के बाद लौटा दी जाएगी।
5. इस विभाग द्वारा बोलीदाता को एक बार दिया गया कोई भी सामान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा।
6. सफल बोलीदाता से अपेक्षित होगा की बोली राशि के भुगतान के बाद 24 घंटे के भीतर बोली में प्राप्त किए गए सामानों को स्वयं के खर्चे पर उठवाना होगा। ऐसा ना करने पर विभाग के पास उनकी संपूर्ण राशि जब्त करने का अधिकार होगा तथा सामान अन्य बोलीदाता को दे दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को सामानों को उठाने के लिए वाहन, मजदूर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. बोलीदाता को बोली में भाग लेने के लिए पते के प्रमाण (मतदाता पहचानपत्र/आधार कार्ड) और पैनकार्ड की प्रति एवं संस्थान/दुकान का लेटरहेड अवश्य लाना होगा।
8. बयाना राशि का नकद/नैफ्ट/आरटीजीएस राशि बोली में भाग लेने के समय अवश्य साथ में लाये अन्यथा प्रारंभिक स्थिति में ही बोली रद्द कर दी जाएगी।
9. विद्यालय समिति एवं प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय कं.1, कोटा को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए उपरोक्त सार्वजनिक नीलामी को रद्द किया जा सकता है।
10. इस संबंध में पार्टियों और बोलीदाताओं के किसी भी विवाद के लिए प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय नं.1, कोटा का निर्णय अंतिम होगा।
11. अन्य कोई नियम/शर्तें यदि कोई होंगी तो समिति के द्वारा बोली प्रारम्भ होने पर बता दी जाएगी।
- 12.

- वितरण :-
1. समस्त केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर संभाग।
 2. विद्यालय नोटिस बोर्ड विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु।
 3. विद्यालय भवन का मैन गेट नोटिस बोर्ड विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु।
 4. विद्यालय वेबसाइट विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु।
 5. स्थानीय बाजार में विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु।

(आर.एस.तंवर)

प्राचार्य

प्राचार्य / Principal

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय कं. 1
P.M. Shri Kendriya Vidyalaya No.-1
कोटा राजस्थान / Kota, Rajasthan
पिन / Pin-324002